

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020


जयपुर, दिनांक : 13.05.2021

आदेश

प्रदेश में संचालित चिरंजीवी योजना में आम लोगों से योजना से संबंधित चिकित्सालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण/संबद्ध अस्पतालों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन तथा अस्पतालों की समस्याओं के निवारण हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | डा. ओ. पी. थाकन, अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर | - | अध्यक्ष |
| 2. | डा. सुनील सिंह, संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय, जयपुर | - | सदस्य |
| 3. | डा. सुनील शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग), मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर- | - | सदस्य |
| 4. | डा. मनीषा चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर | - | सदस्य |

उक्त कमेटी आम लोगों से चिरंजीवी योजना से संबंधित चिकित्सालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व त्वरित निस्तारण/संबद्ध अस्पतालों को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन तथा अस्पतालों की समस्याओं के निवारण करेगी। उक्त कमेटी को आवश्यक तकनीकी सहयोग डा. अवतार सिंह दुआ, वरिष्ठ आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रदान किया जावेगा।


(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
4. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर
5. डा. अवतार सिंह दुआ, वरिष्ठ आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
6. डा. ओ. पी. थाकन, अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर
7. डा. सुनील सिंह, संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय, जयपुर
8. डा. सुनील शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग), मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर
9. डा. मनीषा चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर
10. चिरंजीवी योजना से संबंधित चिकित्सालय


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव